

सारणियों पर टिप्पणियां

सारणी संख्या 1.1

वर्ष 1969 के लिए जनसंख्या समूह के अनुसार बैंक कार्यालयों का वर्गीकरण वर्ष 1961 की जनगणना पर आधारित है। वर्ष 2003 और 2005 की अवधि के संबंध में यह वर्ष 1991 की जनगणना पर आधारित है। वर्ष 2006 के बाद जनगणना 2001 का आधार लिया गया है। इस प्रकार बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण सभी वर्षों के लिए पूर्ण रूप से तुलना करने योग्य नहीं है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या में प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं है। प्रति कार्यालय जनसंख्या, प्रति व्यक्ति जमाराशियां और प्रति व्यक्ति ऋण के आंकड़े 1 मार्च 2011 को भारत की जनगणना के वेबसाइट से प्राप्त जनसंख्या की अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित हैं।

भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां और ऋण के आंकड़े, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत विवरणियों के अनुसार हैं और ये संदर्भ अवधि के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं। जमाराशियां, अंतर बैंक जमाराशियों और ऋणों का योग है बैंकों से देय राशि और बिल बाजार योजना के अंतर्गत पुनः भुनाये गये बिलों को छोड़कर है। वर्ष 2004-5 के कुल जमाराशियों में इंडिया मिलेनियम डिपोजिट्स की ₹ 256.62 अरब की प्राप्त राशियां कुल जमा-राशियों में सम्मिलित हैं। वर्ष 2003 से 2008 के लिए राष्ट्रीय आय और बैंकों की जमाराशियों का अनुपात 1993-94 को आधार वर्ष मानते हुए राष्ट्रीय आय क श्रृंखला पर आधारित है। 2009 के बाद से यह 2004-2005 को आधार वर्ष मानते हुए नई श्रृंखला पर आधारित है। वर्ष 1969 के लिए 1970-71 को आधार वर्ष लिया गया है।

अलग अलग समय पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन किये जाने के कारण संपूर्ण कालावधि के लिए ये आंकड़े समतुल्य नहीं हैं। निवेश-जमा अनुपात की गणना करने के उद्देश्य से किए गए निवेश का संबंध सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेश से है।

नकदी-जमा अनुपात का निर्धारण हस्तगत रोकड तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास के शेष किया जाता है।

सारणी संख्या 1.2

आंकड़े केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सेवित बैंकिंग केंद्रों से ही संबंधित हैं। जनसंख्या समूह का वर्गीकरण 2001 की जनगणना पर आधारित है।

सारणी संख्या 1.13 से 1.15, 4.1 से 4.6 और 5.1 से 5.3

सारणियों में दिये गये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋणों के आंकड़े ₹ 0.2 मिलियन से अधिक ऋण सीमावाले प्रत्येक खाते से संबंधित हैं। सारणी 4.1 से 4.3, 4.6 और 5.3 के लिए आंकड़े, खरीदे और भुनाये गये देशी और विदेशी बिलों को छोड़कर दिए गए हैं। सारणी 5.2 के लिये कुल राशि में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, गैर-लाभार्थ संस्थाएं जो घर परिवार क्षेत्र की सेवा कर रही हैं और अनिवासी आदि के आंकड़े शामिल हैं।

सारणी संख्या 1.16, 1.17

सारणियों में दिये गये आंकड़े ₹ 0.2 मिलियन और उससे कम को ऋण-सीमा वाले खातों के संबंध में हैं। सारणी 1.16 में लघु उधार खातों के संबंध में दिया बकाया ऋण खातों के लिंगवार वर्गीकरण, बैंकों की 87,765 शाखाओं से प्राप्त मूसांवि-1बी विवरणियों पर आधारित हैं।

सारणी संख्या 1.21 से 1.24 और 3.4

सारणी 1.21 से 1.24 तक और 3.4 के लिए 'व्यक्तियों' का अर्थ हिन्दू अविभाजित परिवार हैं। व्यक्तियों के अंतर्गत आने वाले संयुक्त खातों के मामले में खाते के स्त्री/पुरुष वर्गीकरण का निर्धारण प्रथम खाता धारक के लिंग के अनुसार किया जाता है। "अन्य" की श्रेणी में सरकारी क्षेत्र, कंपनी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर गैर वित्तीय और वित्तीय क्षेत्र) एवं अन्य संगठनों को लिया जाता है।

सारणी संख्या 1.27

सावधि जमाओं की अवशिष्ट परिपक्वता से संबंधित आंकड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कंप्यूटरीकृत शाखाओं से एकत्रित किये गये हैं। यह सारणी 93,688 शाखाओं रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

सारणी संख्या 1.28

मू.सां.वि 2 भेजने वाले सभी शाखाओं द्वारा सावधि जमाओं का ब्याज दर वार वितरण के आंकड़े समान रूप से रिपोर्ट नहीं किये गये हैं। यह सारणी 93,549 शाखाओं द्वारा रिपोर्ट किये गये आंकड़ों के आधार पर तैयार की गयी है।

सारणी संख्या 1.29

मू.सां.वि 2 भेजने वाले सभी शाखाओं द्वारा सावधि जमाओं का ब्याज दर वार वितरण के आंकड़े समान रूप से रिपोर्ट नहीं किये गये हैं। यह सारणी 93,442 शाखाओं द्वारा रिपोर्ट किये गये आंकड़ों के आधार पर तैयार की गयी है।

ऋण अनुमोदन के स्थान के आधार पर तैयार सारणी

सारणी संख्या 1.3, 1.5, 1.16, 1.17, 2.1, 2.2, 2.3 ऋण अनुमोदन के स्थान के आधार पर तैयार की गयी हैं।

ऋण राशि के उपयोग के स्थान के आधार पर तैयार सारणी

सारणी संख्या 1.10, 1.11, 4.8, 4.9, 4.10 और 5.5 ऋण के उपयोग के स्थान के आधार पर तैयार की गयी हैं।

ऋण अनुमोदन के स्थान के साथ-साथ ऋण राशि के उपयोग के स्थान के आधार पर तैयार सारणी

सारणी संख्या 1.6, 1.6A, 1.7 और 1.8 ऋण अनुमोदन के स्थान के साथ-साथ ऋण राशि के उपयोग स्थल दोनों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं।

सावधि जमाओं की परिपक्वता प्रणाली पर सारणी

सारणी संख्या 1.24 से 1.26 तथा 3.4 एवं 3.5 वास्तविक परिपक्वता के आधार पर सावधि जमाओं के आंकड़े प्रस्तुत करता है। सारणी संख्या 1.27 अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार सावधि जमाओं का प्रतिशत वितरण प्रस्तुत करता है।

मू.सां.वि.-1 प्रणाली में संशोधन के परिणामस्वरूप कुछ सारणियों प्रस्तुत आंकड़े वर्ष 2008 से पूर्व के आंकड़ों से पूरी तरह सुमेलित नहीं हैं। वर्ष 2009 से शुरू कर कुछ और क्षेत्रों के आंकड़े प्रकाशित किये जा रहे हैं।
